

अदाणी और संभल मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा कल तक स्थगित

अमित शाह करेंगे महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर फैसला, नई दिल्ली में महायुति की बैठक कल

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महायुति गठबंधन गुरुवार को अगली महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री पर फैसला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि तीन सहयोगी दल शिवसेना शिंदे, राकंपा अजित पवार और भाजपा- इस मामले पर चर्चा के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह के साथ ये बैठक होगी। कार्यवाहक सीएम ने ठाणे में अपने घर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी, शिवसेना उसका समर्थन करती है, कल हम दिल्ली में अमित शाह के साथ सरकार



राज्यपाल सी.पी. से मुलाकात की। राधाकृष्णन ने मंगलवार सुबह राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने अनुरोध किया कि शिंदे नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका में बने रहें। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर कई दिनों से चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए कार्यवाहक-सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और खुद को सीएम की दौड़ से बाहर कर दिया। इसके साथ ही देवेन्द्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। उन्होंने प्रचंड जीत के लिए राज्य की

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। विपक्षी सांसदों के लगातार विरोध के बीच, लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया और गुरुवार, 28 नवंबर को फिर से बैठक होगी। वहीं, विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण संसद के उच्च सदन की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नारेबाजी के साथ शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने अडानी रिश्वत मामले और संभल हिंसा को लेकर हंगामा किया। संसद का शीतकालीन सत्र 2024 सोमवार, 25 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में अपना



लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू कराया। इस बीच, कांग्रेस और सपा के कई सदस्य आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी कर रहे

चलने दी जाए। हालांकि, हंगामा नहीं थमा और विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। दोपहर 12 बजे निचले सदन की बैठक फिर शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि, शोर-शराबे के कारण सदन की बैठक दिनभर के स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री की जांच के लिए कानूनों के बारे में बात की।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक में भिड़ंत, 5 डॉक्टरों समेत छह की मौत

कन्नौज, 27 नवम्बर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दुर्घटना में कार और ट्रक में टक्कर होने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर ट्रक से जा टकराई। जानकारी के अनुसार, मरने वाले छह लोगों में से पांच पेशे से डॉक्टर थे। पीड़ित सैफई मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे और लखनऊ से सैफई लौट रहे थे। यह हादसा तिवां कोतवाली क्षेत्र में 196 किलोमीटर के पास हुआ। अधिकारी दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए घटना की जांच कर रहे हैं। यह हादसा बुधवार सुबह करीब 3:43 बजे



हुआ। कथित तौर पर चालक को झपकी आने के बाद कार ने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर तोड़कर विपरीत दिशा में जा रहे ट्रक से जा टकराई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में पांच डॉक्टरों समेत छह लोगों की मौत

हो गई। जयवीर सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है और शवों को शवगृह भेज दिया गया है।

अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है: राहुल गांधी

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। अडानी रिश्वत मामला बुधवार को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह गुंजा, जब दो वरिष्ठ वकीलों ने अडानी समूह के अध्यक्ष के खिलाफ अमेरिकी आरोपों में छेद करने का प्रयास किया, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कई विपक्षी नेताओं द्वारा रिश्वत मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिए जाने के बाद संसद में हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया और अन्य सभी कामकाज निलंबित कर दिए गए। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी के लिए अपना आह्वान दोहराया और कहा



कि उद्योगपति अमेरिकी अभियोजकों द्वारा उल्लिखित आरोपों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोकसभा प्लेओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अडानी आरोप स्वीकार करेंगे? जाहिर है, वह आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उसे

गिरफ्तार किया जाना चाहिए। छोटे-छोटे आरोपों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों करोड़ का आरोप लगाया गया है, उन्हें जेल में होना चाहिए। सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने

कहा कि तथ्य यह है कि दो अभियोग दायर किए गए हैं, एक न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अर्टोनी द्वारा और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनियम आयोग द्वारा। इसलिए वे स्पष्ट रूप से अमेरिकी अदालत के समक्ष ये तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। मूल मुद्दा यह है कि ये

अभियोग भारत के कारोबारी माहौल के संबंध में किस तरह का संदेश भेजते हैं। उन्होंने कहा कि नंबर दो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड क्या कर रहा था? यदि अमेरिकी नियामक को अभियोग दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। यदि आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को याद करें, तो अडानी समूह के संबंध में मुद्दे न केवल सार्वजनिक डोमेन में थे बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस पर आंदोलन किया जा रहा था या फैसला सुनाया जा रहा था। तो सवाल यह है कि नियामकों को विनियमित कौन करेगा? इसलिए, इसमें बड़े मुद्दे शामिल हैं। और इसीलिए हम संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहे हैं।

संभल हिंसा में पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, होगी नुकसान की वसूली

संभल। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि संभल हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भुगतान करना होगा और पत्थरबाजों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। संभल में रविवार (24 नवंबर) को कोट गवाँ इलाके में शहर की शाही जामा मस्जिद के अदालत के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण पर टकराव के बाद चार लोगों की मौत हो गई और पुलिस कमियों सहित कई घायल हो गए, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया कि एक बार हरिहर मंदिर था साइट पर खड़ा था। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि संभल हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ यूपी सरकार सख्त रुख अपना रही है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाए जाएंगे और नुकसान की भरपाई की मांग की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को इनाम की भी घोषणा की जा सकती है। इसी तरह की पहल में, सरकार ने पहले 2020 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बर्बरता से जुड़े व्यक्तियों के पोस्टर लगाए थे। ये पोस्टर राज्य की राजधानी सहित कई स्थानों पर प्रदर्शित किए गए थे, लेकिन बाद में अदालत के आदेश के बाद हटा दिए गए थे। संभल पुलिस ने मोबाइल सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरों का उपयोग करके हालिया हिंसा के दौरान पत्थरबाजों में शामिल 100 से अधिक लोगों की पहचान की है। इनमें से कुछ नाबालिगों समेत 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक चौकाने वाले खुलासे में, पुलिस ने पाया कि कुछ पत्थरबाजों ने खुद को आंसू गैस के प्रभाव से बचाने के लिए अपनी आंखों के चारों ओर हारा लोशन का इस्तेमाल किया था।

उच्चतम न्यायालय ने यमुना एक्सप्रेसवे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण को रखा बरकरार

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की वैधता को मंगलवार को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने जमीन मालिकों और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईआईडीए) की ओर से दायर अपील और हार्क्रॉस-अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। ये मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो विरोधाभासी फैसलों से उपजे थे। एक फैसले में वाईआईडीए की ओर से भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा गया था, जबकि दूसरे फैसले में अति आवश्यक धाराओं को लागू करते हुए



किसानों की जमीन अधिग्रहीत करने की राज्य सरकार की कार्रवाई रद्द कर दी गई थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जमीन मालिकों की याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि वाईआईडीए की ओर से दाखिल अर्जियों को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 के अति आवश्यक प्रावधानों को लागू

करने पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो गया। इसमें कानून के अति

आवश्यक प्रावधानों को लागू करने के फैसले को बरकरार रखा गया है और कहा गया है कि यह क्षेत्र विकास नीति के तहत उचित था। फैसले में कहा गया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के बारे में चिंता और तेजी से विकास की आवश्यकता के कारण संबंधित कानून के तहत सामान्य जांच को दरकिनार करना जरूरी है। पीठ ने कहा कि प्रभावित

जमीन मालिकों में से अधिकांश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित मुआवजे को स्वीकार कर लिया है और नो लिटिगेशन बोनस के रूप में दिए जाने वाले 64.7 फीसदी बड़े हुए मुआवजे का समर्थन किया है। पीठ ने सभी प्रभावित पक्षों के लिए लाभ में एकरूपता बनाए रखने पर जोर देते हुए मुआवजा राशि में और वृद्धि करने से इनकार कर दिया।

“स्वच्छ जल से ही स्वस्थ जीवन”
सस्ते एवं उचित दर पर, आपकी सेवा में समर्पित, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें

पुर्णिमा सर्विसेस

COMPLETE SOLUTIONS OF WATER TREATMENT
ALL TYPES WATER PURIFIER SERVICE

Email - purnima.services@gmail.com
8655185584
Shop No. 7, Gr. Floor, Prema Tower, Diva - Shil Road, Diva (E) - 400612

THE DOCTORS COACHING
Your Gateway to Success in NEET & Foundation Exams!
Powered by- Modern Kids Education Pvt.Ltd. (Since 1999)

NEET (UG) & FOUNDATION
Physics Chemistry Biology

9th, 10th, 11th & 12th
Smart Classes Fully Air-Conditioned Classes

The Doctors Coaching
Your Gateway to success in
NEET
a foundation exams!

ADMISSION OPEN NOW!

www.thedoctorcoaching.com | edu@thedoctorcoaching.com
+91-7080403322, +91-8400043322
Near LHPs, Friends Colony, Sector-7, Vikas Nagar, Lucknow-226022

